-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **क्षेत्राधिकारी यातायात बांदा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में मानव तस्करी निरोधी इकाई के तत्वाधान में बालश्रम/बाल अपराधों की रोकथाम आदि के संबंधों में की गयी मासिक समीक्षा बैठक।**
- **बैठक में बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह आदि की रोकथाम हेतु निरन्तर अभियान चलाये जाने के संबंध में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में बाल भिक्षावृत्ति/बालश्रम की रोकथाम, किशोर न्याय संरक्षण, बाल विवाह की रोकथाम आदि हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.01.2025 को क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में मानव तस्करी निरोधी इकाई (Anti-Human Trafficking Unit-AHTU) जनपद बांदा के तत्वाधान में मासिक समीक्षा बैठक की गयी जिसमें बाल अपराधों की रोकथाम हेतु बाल सेवा योजना, किशोर न्याय अधिनियम व बच्चों से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में लोगों को जागरुक करने तथा बालश्रम व बाल विवाह पर रोक लगाये जाने के संबंध में ग्रामीण व शहर क्षेत्रों में स्कूलों/कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रमों को चलाये जाने एवं व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ पुलिस व अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं के परस्पर आपसी सहयोग के संबंध मे भी दिशा निर्देश दिए गये। मानव तस्करी निरोधी इकाई व विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit-SJPU), किशोर न्याय संरक्षण बोर्ड को इस संबंध में स्कूलों/कॉलेजो में विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रमों को चलाने जाने हेतु निर्देशित किया गया | समीक्षा बैठक दौरान जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी/कर्मचारी, एएचटीयू, एसजेपीयू तथा अन्य सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं से सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।